

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, बालोद वनमंडल, बालोद (छग)

काष्ठागार परिसर, दल्लीराजहरा रोड, बालोद, फोन नं.07749-223904 ई.मेल.dfobalod@yahoo.com

क्रमांक/तक.अधि./न.क्र.5-1/2021/.....24.148

बालोद, दिनांक 25/10/2021

परियोजना प्रबंधक

छ.ग.रो. डेव्ह. कार्पो. लि.

तृतीय तल, सिरपुर भवन परिसर, आकाशवाणी के पीछे  
सिविल लाईन्स रायपुर (छग0)

विषय:-

*Diversion of Forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposal for Widening & Upgradation to 2 Lane of Lohara Rengadabri Junapani Chowki Road, area 5.530 ha. regarding .*  
पंजीयन क्र. FP/CG/ROAD/24943/2017

संदर्भ:-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत श्रेत्रीय कार्यालय, रायपुर का पत्र क्रमांक/FC-II/IROCH-06/2021-/297 दिनांक 11.10.2021
- 2 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(भू-प्रबंध/व.स.अ.) छ.ग. नवा रायपुर का पत्र क्र. /भू-प्रबंध/विविध/115-786/2605 दिनांक 25/10/2021
- 3.मुख्य वन संरक्षक दुर्ग वृत्त दुर्ग का पत्र क्र./तक.अधि./7735 दिनांक 25.10.2021

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि बालोद जिले के बालोद वनमंडल के परिक्षेत्र लोहारा अंतर्गत लोहारा रेंगाडबरी जुन्नापानी-चौकी मार्ग में प्रभावित संशोधित आरक्षित वनकक्ष क्र. 173,194,193,191, एवं संरक्षित वन कक्ष क्र. 307,312,313 के कुल रकबा 5.530 हे. क्षेत्र का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी उपयोग हेतु संदर्भित पत्र क्र. 01 के माध्यम से प्रथम चरण स्वीकृति अधिरोपित शर्त अनुसार जारी की गई है। प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक I से XXVI बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन मय पृथक-पृथक वचन पत्र तैयार कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु निर्देश है।

अतः अधिरोपित शर्त क्रमांक III. अनुसार The cost of Compensatory Afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years;

IV. NPV:

- (a) The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 5.530 Ha. forest land being diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in Writ Petition (Civil) No 202/1995 and the guidelines issued by this Ministry vide its letter No. 5-3/2007-FC dated 05.02.2009 in this regard;

उपरोक्त कंडिका क्र. III एवं IV(a) अनुसार राशि का विवरण निम्नानुसार है-

क्र.	व्यपर्तन का रकबा हे.मे.	प्रत्याशा मुल्य (NPV) सघन वन की 8.03 लाख की दर से राशि	वैकल्पिक वृक्षारोपण (CA) का कुल रकबा (हे.मे)	वैकल्पिक वृक्षारोपण (CA) सिंचित रूपये 7,98,897 प्रति हे. की दर से वर्ष 2021-22 हेतु	मृदा संरक्षण (Soil & Moisture Conservation) की राशि
01	5.530	4440590.00	11.060	8835801.00	44916.00

उपरोक्त ऊपर दर्शित राशि को वेब- पोर्टल पर ई-चालान जनरेट कराकर कैम्पा खाता में जमा करावें एवं जमा की गई राशि का एक प्रति अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन के साथ इस कार्यालय को उपलब्ध करावें ताकि प्रथम चरण स्वीकृति में जारी अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित किया जा सके।

संलग्न: उपरोक्तानुसार (4 पृष्ठीय)

क्रमांक / तक.अधि. / न.क्र.5-1 / 2021 / ...३१५६..

बालोद, दिनांक २४/१०/२०२१

प्रतिलिपि:-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) अटल नगर नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. मुख्य वनसंरक्षक दुर्ग वृत्त दुर्ग की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
3. कलेक्टर बालोद जिला बालोद की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी,  
बालोद वनमण्डल, बालोद